

राजस्थान अल्पसंख्यक नागरिकता शिविर

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए [अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिये](#) विशेष शिविर आयोजित करने जा रही है।

मुख्य बंदि

- अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए [अल्पसंख्यक शरणार्थियों](#) को भारतीय नागरिकता देने के नयिम तथा प्रक्रियाएँ सरल कर दी गई हैं। अब ज़िला कलेक्टरों को नागरिकता प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है।
- सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2016 से 2024 तक राज्य में **2,329 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है।**
- वर्तमान में कुल **1,566 आवेदन लंबति हैं।** इनमें से 300 मामलों में आसूचना ब्यूरो (इंटेल्जिंस ब्यूरो) की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019

- [नागरिकता \(संशोधन\) अधिनियम, 2019](#) का उद्देश्य [नागरिकता अधिनियम, 1955](#) में संशोधन करना है।
- नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment ACT- CAA) [पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर, 2014](#) को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले छह गैर-मुसलमि समुदायों ([हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई](#)) को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है।
- यह वधियक [छह समुदायों](#) के सदस्यों को [वदिशी अधिनियम, 1946](#) और [पासपोर्ट अधिनियम, 1920](#) के तहत कसिी भी आपराधकि मामले से छूट देता है।
 - दोनों अधिनियमों में देश में [अवैध रूप से प्रवेश करने](#) तथा [समाप्त हो चुके वीज़ा और परमटि](#) पर यहाँ रहने के लयि दंड का प्रावधान कयिा गया है।